**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-155**

**जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।**

**ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली**

***155. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एनटीपीसी देश में 1000 मेगावाट वाली ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली संस्थापित करने की योजना बना रहा है;

(ग) यदि हां, तो एनटीपीसी इसे कौन-कौन से स्थानों पर संस्थापित करने की योजना बना रहा है;

(घ) ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण नवीकरणीय ऊर्जा समेकन में किस तरह से सहायक सिद्ध होगा; और

(ङ) सरकार को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को कार्यान्वित करने में किन-किन अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (ङ) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**********

**<u>विवरण</u>**

**"ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 155 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**********

**(क) :** बैटरी भंडारण (स्टोरेज) एक ऐसी तकनीक है जो विद्युत प्रणाली संचालकों और यूटिलिटियों को बाद में उपयोग के लिए ऊर्जा भंडारण करने में समर्थ बनाती है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो ग्रिड या विद्युत संयंत्र से चार्ज (या ऊर्जा एकत्र करता है) और फिर बाद में जरूरत पड़ने पर विद्युत या अन्य ग्रिड सेवाएं प्रदान करने के लिए उस ऊर्जा को डिस्चार्ज कर देता है।

**(ख) और (ग) :** एनटीपीसी ने निम्नलिखित के सुनिश्चयन हेतु एकल अथवा बहुविध एनटीपीसी विद्युत संयंत्र स्थानों पर 1000 एमडब्ल्यूएच ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापित करने के लिए दिनांक 26.06.2021 को ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जारी किया हैः

(i) विभिन्न प्रौद्योगिकियों, वित्तीय व्यवहार्यता की पहचान करना तथा वाणिज्यिक लाभ हेतु बीईएसएस प्रणाली का सर्वोत्तम सम्भव विकल्प होना और/अथवा
(ii) प्रदर्शन/वाणिज्यिक परियोजनाओं के निष्पादन के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रणालियों/चरणों हेतु विशिष्टताओं का निरूपण।

**(घ) :** नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्रोत स्वभाव से परिवर्तनशील होते हैं। ग्रिड स्केल बैटरी ऊर्जा भंडारण से नवीकरणीय उत्पादन आउटपुट को सुचारू बनाने में सहायता मिलती है जिससे विद्युत की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा ग्रिड स्थिरता में मदद मिलती है। इसके परिणामस्वरूप, ग्रिड विनियमन सेवाओं की कम आवश्यकता पड़ती है तथा नेटवर्क अवसंरचना का बेहतर उपयोग होता है। ग्रिड स्केल पर, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के आरई अनुप्रयोगों में रैंप सहयोग, ऊर्जा समय परिवर्तन तथा क्षमता दृढ़ता सम्मिलित है।

**(ङ) :** बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियां देश में बढ़ती हुई आरई सक्षमताओं को एकीकृत करने के लिए अतिमहत्वपूर्ण होती जा रही हैं। वर्तमान में, बीईएसएस के कार्यान्वयन में आ रही बाधाएं निम्नानुसार हैं:

(i) उच्च बैटरी भंडारण मूल्य स्तर होने से इनका बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप कई भंडारण अनुप्रयोगों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना कठिन है।
(ii) देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण के लिए सीमित विनिर्माण क्षमता।
(iii) लीथियम ऑयन इत्यादि जैसी बैटरी भंडारण सामग्री की सीमित घरेलू उपलब्धता।
(iv) प्रणाली सेवाओं के लिए बाजारों की कमी।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या-160**

**जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।**

**आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत खरीद करार की समीक्षा किया जाना**

***160. श्री कनकमेदला रवींद्र कुमार:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मई, 2019 के बाद केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार को आंध्र प्रदेश में लागू तत्कालीन विद्युत खरीद करार की समीक्षा करने से रोकने के लिए दो बार पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए विद्युत खरीद करार की समीक्षा करने के लिए आंध्र प्रदेश की वर्तमान राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को ऐसे कृत्य करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) से (घ) :** विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**********

**<u>विवरण</u>**

**"आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत खरीद करार की समीक्षा किया जाना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 160 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**********

**(क) से (घ) :** संघ सरकार ने इस तथ्य को नोट किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकासकर्ताओं के साथ विद्युत क्रय करारों (पीपीएज) पर फिर से बात करने पर विचार कर रही है। संघ सरकार ने दिनांक 06 जून, 2019 तथा दिनांक 09 जुलाई, 2019 के अपने पत्रों के माध्यम से आंध्र प्रदेश सरकार को सलाह दी थी कि संविदात्मक करार अलंघनीय होते हैं और उनकी तब तक समीक्षा नहीं की जानी चाहिए जब तक कि करार में ऐसा करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना विकासकर्ता इस मामले में माननीय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय चले गए थे, जिसने आंध्र प्रदेश सरकार एवं आंध्र प्रदेश की वितरण कंपनियों के प्रासंगिक आदेशों को दरकिनार करने और जब तक आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा मूल्य के विवाद का समाधान नहीं कर दिया जाता है, तब तक सौर विद्युत के लिए 2.44 रूपये प्रति यूनिट और पवन विद्युत के लिए 2.43 रूपये प्रति यूनिट की अंतरिम दर से भुगतान करने का आदेश दिनांक 24.09.2019 को पारित किया था। विकासकर्ताओं ने इस आदेश के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की है। संघ सरकार ने भी इस मामले में अपना जवाब माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1743**

**जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।**

**उजाला योजना के अंतर्गत एलईडी का वितरण**

**1743. श्री अजय प्रताप सिंह:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऊर्जा संरक्षण एवं बिजली की बचत हेतु सभी के लिए किफायती एलईडी के जरिये उन्नत ज्योति (उजाला) योजना के अंतर्गत कितने एलईडी बल्बों और पंखों का वितरण किया गया है; और

(ख) मध्य प्रदेश के सीधी और सिंगरौली जिलों में वितरित बल्बों और पंखों का विकास खंड-वार और ग्राम-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने ऊर्जा संरक्षण और विद्युत की बचत के लिए सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) योजना के अंतर्गत अब तक 36.74 करोड़ एलईडी बल्ब और 23.44 लाख ऊर्जा दक्ष पंखे वितरित किए गए हैं।

**(ख) :** मध्य प्रदेश में सीधी और सिंगरौली जिलों में वितरित एलईडी बल्ब और ऊर्जा दक्ष पंखों का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

| क्रम सं. | जिले का नाम | वितरित बल्बों की संख्या | वितरित पंखों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | सीधी | 1,02,328 | 1,054 |
| 2. | सिंगरौली | 82,642 | 6,117 |

(उजाला स्कीम के अंतर्गत कार्यक्रम के ब्यौरे केवल जिला स्तर तक लिए जाते हैं)

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1744**

**जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।**

**विद्युत क्षेत्र में दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान**

**1744. श्री प्रशांत नन्दा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दबावग्रस्त ताप विद्युत आस्तियों के समाधान के संबंध में प्रगति धीमी रही है क्योंकि प्रभावित उत्पादन क्षमता के बहुत कम प्रतिशत का ही समाधान हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र में दवाबग्रस्त आस्तियों का समाधान करने के दौरान पेश आई चुनौतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने दिनांक 22.03.2017 को कुल 40,130 मेगावाट की सभी उप-कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं, अधिकांशत: निजी, की एक सूची उपलब्ध कराई है, जिन्हें "संकटग्रस्त" माना गया है। इन 34 ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः

(i) कुल 19,090 मेगावाट क्षमता की 16 परियोजनाओं (~48%) का समाधान हो गया है।
(ii) कुल 12,430 मेगावाट क्षमता की 10 परियोजनाएं (~31%) समाधान के विभिन्न चरणों में हैं।
(iii) कुल 8,610 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाएं (~21%) निर्माण के बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर हैं और पूर्णरूप से बंद हैं। ऐसी परियोजनाओं को या तो परिसमापन का आदेश दे दिया गया है अथवा परिसमापन की दिशा में अग्रसर हैं।

**(ख) :** संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के समाधान के दौरान सामना की गईं मुख्य चुनौतियां कोविड से संबंधित धीमी प्रगति; विद्युत क्रय करारों (पीपीए) की कमी; निवेशकों की अभिरूचि की कमी; ऋणदाताओं को बड़ी हानि; संवर्धकों की कमजोर वित्तीय हालत आदि हैं।

**(ग) और (घ) :** ताप विद्युत क्षेत्र में संकट का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अधिकारप्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की है। तत्पश्चात्, सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (जीओएम) का गठन किया। सरकार ने मंत्रियों के समूह (जीओएम) की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया। तदोपरांत, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 08.03.2019 को निम्नलिखित निर्णयों पर सरकार का अनुमोदन अधिसूचित कियाः

1. डे अहेड मार्केट (डीएएम) अथवा डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस (दीप) पोर्टल में विद्युत की अल्पकालिक बिक्री के लिए कोयला।
2. डिस्कॉम द्वारा भुगतान में चूक के कारण पीपीएज की समाप्ति के मामले में विद्युत की अल्पकालिक बिक्री के लिए कोयला लिंकेज।
3. केंद्रीय और राज्य उत्पादन कंपनियां विद्युत के संग्रहक के रूप में कार्य कर सकती हैं और डिस्कॉम को ऐसे डिस्कॉमों उनके मौजूदा पीपीए के निमित्त उस विद्युत को दे सकती हैं।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र विकसित किया गया है कि विकासकर्ताओं द्वारा उत्पादित निवल अधिशेष, पहले ऋण चुकाने के लिए पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।
5. दीर्घावधिक पीपीए और शक्ति के ख(ii) के अंतर्गत लिंकेज नीलामी के पहले दौर में भाग न ले सकने वाली परियोजनाओं को बाद के दौर में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।
6. उन परियोजनाओं को, जिन्होंने शक्ति के ख(ii) के अंतर्गत लिंकेज नीलामी के पहले दौर में भाग लिया, लेकिन पूरी एसीक्यू मात्रा के लिए लिंकेज हासिल नहीं कर सकीं, बाद के दौरों में शेष मात्रा के लिए लिंकेज प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।
7. शक्ति ख(iii) के अंतर्गत नीलामियां नियमित अंतराल पर की जाएंगी।
8. विद्युत के लिए ई-नीलामी के लिए कुल कोयले का 50 प्रतिशत विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए निर्धारित किया गया है।
9. कोयले की कम आपूर्ति 3 महीने तक व्ययगत नहीं होगी।
10. वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) का विकसित दक्षता के आधार पर किया जाएगा।
11. डिस्कॉमों द्वारा भुगतान में विलंब के मामले में विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) का भुगतान पीपीए के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है।
12. यदि परियोजना को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को भेजा जाता है अथवा किसी अन्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाता है तो विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/पारेषण कनेक्टिविटी/पर्यावरण मंजूरी (ईसी)/वन मंजूरी (एफसी)/पानी आदि को रद्द नहीं किया जाएगा।

13. उत्पादक पर गैर-आरोप्य कारणों से परियोजना के चालू होने में विलंब के मामले में पीपीए रद्द नहीं किया जा सका।

(ii) **2500 मेगावाट विद्युत की खरीद के लिए प्रायोगिक परियोजनाः** देश मे विद्युत क्रय करारों (पीपीएज़) की कमी की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय ने मुक्त क्षमता वाली चालू की गई परियोजनाओं वाले विद्युत उत्पादकों से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिस्पर्धी आधार पर 2500 मेगावाट की खरीद की स्कीम अधिसूचित की है।

- **पहला चक्र (2500 मेगावाट):** सभी सफल बोलीदाताओं (1900 मेगावाट) को लैटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किए गए - 1900 मेगावाट के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए।
- **दूसरा चक्र (2500 मेगावाट):** कुल 6000 मेगावाट क्षमता के लिए 21 बोलीदाताओं से बोली प्रतिभूति प्राप्त की गई थी। कुल 2500 मेगावाट क्षमता के लिए 12 बोलीदाता सफल हुए थे।

(iii) **भुगतान सुरक्षा तंत्र**: राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (एनएलडीसी एवं आरएलडीसी) को उत्पादन कंपनियों और/वितरण कंपनियों द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद ही कि वांछित विद्युत की मात्रा के लिए साख पत्र (एलसी) खोल दिया गया है, विद्युत प्रेषण करने के लिए निदेशित किया गया है। इससे डिस्कॉमों द्वारा विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हुआ है।

(iv) **आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत लिक्विडिटी निषेचनः** डिस्कॉमों की लिक्विडिटी की समस्याओं को कम करने के लिए, भारत सरकार ने पावर फाइनेंस कारपोरेशन (पीएफसी) और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) को सीपीएसई जेनकोज़ और ट्रांसकोज़, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीज़) और नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादकों के पक्ष में डिस्कॉमों को और ऋण प्रदान करने के लिए एकबारगी अनुमति दी।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1745**

**जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।**

**असम में लगाए जाने हेतु विद्युत मीटरों की खरीद**

**1745. श्री अजीत कुमार भुयान:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विद्युत मंत्रालय बिजली की खपत को मापने के लिए घरों में लगाए जाने हेतु बिजली के मीटर खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गत दस वर्षों में खरीदे गए मीटरों की संख्या उपभोक्ताओं की संख्या के दोगुने से भी अधिक हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और असम के उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य विद्युत इकाइयों द्वारा खरीदे गए बिजली के मीटरों का उनकी निर्माण तिथि, क्षमता, दर, मात्रा आदि सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) असम में उपभोक्ताओं द्वारा स्वयं खरीद कर अपने परिसरों में लगाए गए बिजली के मीटरों की संख्या क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) और (ख)** : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत के वितरण/आपूर्ति एवं उपभोक्ता मीटरों की खरीद तथा संस्थापना से जुड़े प्रकार्यों का प्रबंधन संबंधित वितरण यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। भारत सरकार समय-समय पर विभिन्न स्कीमों जैसे वर्ष 2014 में आरंभ हुई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), वर्ष 2014 में शुरू की गई एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), वर्ष 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य, वर्ष 2015 में आरंभ हुए राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

(एनएसजीएम) के अंतर्गत राज्यों/डिस्कॉमों को सहायता प्रदान कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत, राज्यों/वितरण कंपनियों को उनकी आवश्यकतानुसार, मीटरों की खरीद सहित, निधियां प्रदान की जाती हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत, डिस्कॉमों ने जून, 2021 तक 5.25 करोड़ मीटरों को संस्थापित करने की सूचना दी है। भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का उपयोग करते हुए राज्यों/डिस्कॉमों द्वारा संस्थापित/संस्थापित किए जा रहे विद्युत मीटरों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

| **क्र.सं.** | **स्कीम** | **स्वीकृत मीटरों की सं. (करोड़ में)** | **संस्थापित मीटरों की सं. (करोड़ में)** |
|---|---|---|---|
| 1. | **आईपीडीएस** | 1.071 | 0.897 |
| 2. | **डीडीयूजीजेवाई** | 1.517 | 1.543 |
| 3. | **सौभाग्य** | 2.817 | 2.817 |
| 4. | **एनएसजीएम** | 0.072 | 0.018 |
| **कुल** | | **5.477** | **5.275** |

**(ग)** : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत का घरेलू उपभोक्ता आधार मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार 18.36 करोड़ से बढ़कर मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 25.23 करोड़ तक बढ़ गया है।

विभिन्न विद्युतीकरण परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन से प्रणाली से जुड़े नए उपभोक्ताओं की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है।

**(घ)** : असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केन्द्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत डिस्कॉमों द्वारा असम के उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2019-20 तक की 8 साल की अवधि के दौरान कुल 12,25,211 ऊर्जा मीटर खरीदे गए हैं। इनका ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

**(ङ)** : असम राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल 56,69,394 ऊर्जा मीटर स्वयं उपभोक्ताओं ने खरीदे हैं और असम में अपने-अपने परिसरों पर लगाए हुए हैं।

******

**अनुबंध**

**राज्य सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1745 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**********

**असम के उपभोक्ताओं के लिए केन्द्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत डिस्कॉमों द्वारा खरीदे गए मीटरों का विवरण।**

| स्कीम | मॉडल | क्षमता | मात्रा |
|---|---|---|---|
| वार्षिक कार्यक्रम 2014-15 | मैसर्स लिंकवैल टेलिसिस्टम प्रा. लि. | 1 पीएच 5-30ए | 30000 |
| | मैसर्स. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | 1 पीएच5-30ए | 13000 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | 1 पीएच 5-30ए | 13000 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 1 पीएच 5-30ए | 13000 |
| | मैसर्स. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | 3पीएच 5-30ए | 1500 |
| | मैसर्स लिंकवैल टेलिसिस्टम प्रा. लि. | 3पीएच 5-30ए | 500 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | 3पीएच 5-30ए | 500 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 3पीएच 5-30ए | 500 |
| | मैसर्स लिंकवैल टेलिसिस्टम प्रा. लि. | 3पीएच 10-60ए | 300 |
| | मैसर्स. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | 3पीएच 10-60ए | 300 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | 3पीएच 10-60ए | 300 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 3पीएच 10-60ए | 900 |
| टीजीएलक्यू 2016-17 | मैसर्स. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | 1पीएच 5-30ए | 10000 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | 1पीएच 5-30ए | 10000 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 1पीएच 5-30ए | 10000 |
| सौभाग्य 2017-18 तथा जीएसए 2016-19 | मैसर्स लेंडिस+जीवाईआर | 1पीएच 5-30ए | 136900 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | 1पीएच 5-30ए | 147500 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 1पीएच S-30ए | 147100 |
| | मैसर्स. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | 1पीएच 5-30ए | 148500 |
| | मैसर्स कैपिटल पावर सिस्टम | 1पीएच 5-30ए | 10000 |
| | मैसर्स इंडोटेक स्विचगियर एंड कंट्रोल प्रा. लि. | 1पीएच 5-30ए | 30000 |
| एसओपीडी 19-20 | मैसर्स लिंकवैल टेलिसिस्टम प्रा. लि. | 1पीएच 5-30ए | 35700 |
| | मैसर्स. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | 1पीएच 5-30ए | 58600 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | 1पीएच 5-30ए | 35700 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 1पीएच 5-30ए | 35000 |
| | मैसर्स लेंडिस+जीवाईआर | 1पीएच 5-30ए | 15000 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 3पीएच डीएलएमएस सीएटी सी-/5ए, टीवीएम एचटी | 1050 |
| | मैसर्स एलएंडटी मीटर्स | 3पीएच डीएलएमएस सीएटी सी-/5ए, टीवीएम एलटीसीटी | 3000 |
| आरएपीडीआरपी | मैसर्स. जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि. | (5-30) एएमपीएस (10-60) एएमपीएस | 100281 |
| | | (5-30) एएमपीएस | 4212 |
| | | (10-60) एएमपीएस | 1000 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | (5-30) एएमपीएस (10-60) एएमपीएस | 74919 |
| | | (5-30) एएमपीएस (10-60) एएमपीएस | 36656 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (25,63,100,160,250,315.500) केवीए | 5624 |
| | | (5-30) एएमपीएस | 17000 |
| | | (10-60) एएमपीएस | 2000 |
| | मैसर्स लारसन एंड टर्बो लि. | 300-200/5ए | 245 |
| | | 110वोल्ट,-/एएमपी, 50 हर्ट्ज | 371 |
| | | 0.5 सटीकता-/5ए | 4321 |
| एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) | मैसर्स लारसन एंड टर्बो लि. | (10-60 एएमपी | 367 |
| | | (5-30) एएमपी | 1118 |
| | | 300-200/5 एएमपी | 77 |
| | | -/110वोल्ट, /5 एएमपी, 50 हर्ट्ज | 201 |
| | | 63केवीए, 100केवीए 250केवीए, 315केवीए, 500केवीए | 582 |
| | | 0.5 सटीकता-/जेएएमपी | 110 |
| | | (10-60) एएमपी | 2388 |
| | | (5-30) एएमपी | 44763 |
| | मैसर्स सिक्योर मीटर्स लि. | (10-60) एएमपी | 203 |
| | | (5-30) एएमपी | 865 |
| | | 300-200/5 एएमपी | 46 |
| | | -/110वोल्ट, /5 एएमपी, 50 हर्ट्ज | 68 |
| | | 100केवीए 25केवीए, 250केवीए, 63केवीए, 160केवीए, 315केवीए, 500केवीए | 423 |
| | | 0.5 सटीकता-/5एएमपी | 27 |
| | | (10-60) एएमपी | 873 |
| | | (5-30) एएमपी | 18621 |
| **कुल** | | | **1225211** |

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1746**

**जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।**

**कोयले की कमी के कारण विद्युत संयंत्रों के कार्यकरण में कमी**

**1746. श्री रिपुन बोरा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण देश में विभिन्न ताप विद्युत स्टेशनों की कुछ इकाइयों को मजबूर होकर काम बंद करना पड़ा और कुछ को अपना उत्पादन कम करना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत मंत्रालय द्वारा कोयला मंत्रालय के साथ मिलकर इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है और उसका क्या परिणाम रहा है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** जी, नहीं।

**(ख) :** विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के दिन-प्रतिदिन के मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से, विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडारण की गंभीर स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह नियमित बैठकें आयोजित करता है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने संयत्रों की कोयला आवश्यकता को पूरा करने हेतु उनकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सरकार ने मई, 2016 में, राज्य/केंद्रीय जेनकोज को अधिक दक्ष संयत्रों में कोयला का उपयोग करने के साथ-साथ परिवहन लागत की बचत करके विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए अपने उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति दी है।

(ii) परिवहन लागत को इष्टतम बनाने के मद्देनजर, राज्य/केंद्रीय जेनकोज एवं आईपीपीज़ के लिंकेज स्रोतों के युक्तीकरण की अनुमति दी गई है।

(iii) सरकार ने, ऐसे विद्युत संयत्रों को जिनके पास कोयला लिंकेज नहीं है, कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपरेंटली इन इंडिया) - 2017 स्कीम शुरू की है।

**********

**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1747**

**जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2021 को दिया जाना है।**

**विद्युत वितरण कंपनियों को हुई हानि**

**1747. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत वितरण कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए कोई योजना या रणनीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों को हुई हानि के संबंध में कोई अध्ययन कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री**
**(श्री आर.के. सिंह)**

**(क) :** पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार, विद्युत वितरण यूटिलिटियों की वित्तीय हानियां वर्ष 2014-15 में 54,558 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2019-20 में 32,898 करोड़ रुपये हो गई हैं। इसके अलावा, सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियां वर्ष 2014-15 में 25.72% से घटकर वर्ष 2019-20 में 21.83% हो गई हैं। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के लिए विद्युत वितरण यूटिलिटियों के लाभ एवं हानि का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

**(ख) से (घ) :** पीएफसी प्रत्येक वर्ष विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करता है और "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के कार्य-निष्पादन की रिपोर्ट" प्रकाशित करता है, जिसमें विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा की गई हानियों का मूल्यांकन शामिल होता है।

सरकार ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की हानियों को कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जैसे किः

(i) केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय रूप से वहनीय और प्रचालन दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से "संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम - सुधार आधारित एवं परिणाम संबद्ध स्कीम" अनुमोदित की है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी हानियों को 12-15% के अखिल भारत स्तर तक और औसत आपूर्ति लागत (एसीएस)-औसत राजस्व वसूली (एआरआर) अंतर को शून्य तक कम करना है। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रूपये है। स्कीम के अंतर्गत, पात्र डिस्कॉमों को नेटवर्क के लिए वितरण अवसंरचना के उन्नयन तथा स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग प्रणालियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग और प्रणाली मीटरिंग के अलावा अन्य कार्यो के लिए निधियन डिस्कॉमों द्वारा पूर्व-निर्धारित मानदंडों को पूरा करने और भारत सरकार द्वारा सहमत हानियां कम करने की कार्य योजना एवं डिस्कॉमों की कार्य योजना के आधार पर निरूपित परिणाम मूल्यांकन मैट्रिक्स में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने पर निर्भर होगी। कोई भी डिस्कॉम जिसमें हानियां हो रही हैं, इस स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने में समर्थ नहीं होगी जब तक वह हानियां कम करने के लिए कोई योजना नहीं बनाती, ऐसी हानियों को कम करने के लिए वह उपायों एवं उनके लिए समय-सीमा को सूचीबद्ध नहीं करती और उस पर अपनी राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं करती तथा उसे केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत नहीं करती।

(ii) लिक्विडिटी निषेचन स्कीम एटीएंडसी हानियां और एसीएस-एआरआर अंतर को कम करने के लिए राज्यों द्वारा प्रामाणिक कार्य योजना से संबद्ध है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को, सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों की विद्युत देय राशियों को शून्य करने और सरकारी विभागों/संबद्ध कार्यालयों आदि में स्मार्ट प्रीपेड अथवा प्रीपेड मीटरों की स्थापना के लिए वचनबद्धता देना अपेक्षित है। राज्य सरकारों को सब्सिडी की देय राशियों को चुकाने के लिए, प्रत्येक तिमाही में सब्सिडी का अग्रिम भुगतान, और प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी के लिए खपत की प्रति यूनिट के लिए राज्य सरकार की सब्सिडी अधिसूचित करने के लिए वचनबद्धता देनी होगी।

(iii) भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए एटीएंडसी हानियां और एसीएस-एआरआर प्रत्येक के अंतर में कमी से संबद्ध राज्य जीएसडीपी की 0.05% सीमा तक अतिरिक्त ऋण अनुमति प्रदान की है।

(iv) पन्द्रहवें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार ने राज्यों को विद्युत क्षेत्र में कतिपय निष्पादन मानदंडों अर्थात् लक्ष्यों के प्रति एटीएंडसी हानि और एसीएस-एआरआर अंतर में कमी, क्रास सब्सिडी में कमी, सरकारी विभागों/कार्यालयों/स्थानीय निकायों द्वारा बिजली बिलों का भुगतान, सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर, नवाचार एवं नूतन प्रौद्योगिकियों अर्थात् स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग सहित स्मार्ट ग्रिड, उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी), स्वचलित मीटरिंग अवसंरचना (एएमआई) और ऐसे ही अन्य मानदंडों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.50% का निष्पादन आधारित अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है।

(v) इसके अतिरिक्त, ऋणों अथवा सरकारी स्कीमों के लिए पीएफसी एवं आरईसी द्वारा निधियों की भावी निर्मुक्ति डिस्कॉमों की कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश की रेटिंग पर विचार करते हुए की जाएगी, जो कि हाल ही में राज्यों को प्रेषित की गई हैं।

******

**अनुबंध**

**राज्य सभा में दिनांक 03.08.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1747 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**********

## प्रोद्भूत आधार पर लाभ/(हानि)

आकड़े करोड़ रूपए में

| | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **आंध्र प्रदेश** | **(2,397)** | **(3,899)** | **(2,282)** | **(2)** | **(11,934)** | **(151)** |
| एपीईपीडीसीएल | **(722)** | **(472)** | **(394)** | **3** | **(4,253)** | **(152)** |
| एपीएसपीडीसीएल | **(1,675)** | **(3,427)** | **(1,888)** | **(4)** | **(7,681)** | **1** |
| **अरुणाचल प्रदेश** | **(257)** | **(40)** | **(324)** | **(429)** | **(428)** | **(413)** |
| अरुणाचल पीडी | **(257)** | **(40)** | **(324)** | **(429)** | **(428)** | **(413)** |
| **असम** | **(578)** | **(104)** | **(34)** | **165** | **21** | **203** |
| एपीडीसीएल | **(578)** | **(104)** | **(34)** | **165** | **21** | **203** |
| **बिहार** | **(1,044)** | **(1,073)** | **(1,257)** | **(2,650)** | **(2,409)** | **(2,948)** |
| एनबीपीडीसीएल | **(297)** | **(339)** | **(295)** | **(362)** | **(596)** | **(1,283)** |
| एसबीपीडीसीएल | **(748)** | **(734)** | **(962)** | **(2,287)** | **(1,813)** | **(1,665)** |
| **छत्तीसगढ़** | **(1,554)** | **24** | **(422)** | **(279)** | **(42)** | **(973)** |
| सीएसपीडीसीएल | **(1,554)** | **24** | **(422)** | **(279)** | **(42)** | **(973)** |
| **दिल्ली** | **418** | **222** | **404** | **491** | **799** | **942** |
| बीआरपीएल | **63** | **40** | **108** | **145** | **291** | **310** |
| बीवाईपीएल | **19** | **7** | **34** | **40** | **172** | **218** |
| टीपीडीडीएल | **336** | **175** | **262** | **306** | **336** | **414** |
| **गोवा** | **(17)** | **(286)** | **(283)** | **26** | **(172)** | **(271)** |
| गोवा पीडी | **(17)** | **(286)** | **(283)** | **26** | **(172)** | **(271)** |
| **गुजरात** | **108** | **155** | **275** | **426** | **184** | **538** |
| डीजीवीसीएल | **51** | **57** | **93** | **94** | **39** | **130** |
| एमजीवीसीएल | **29** | **43** | **79** | **93** | **33** | **65** |
| पीजीवीसीएल | **11** | **(17)** | **37** | **137** | **75** | **227** |
| यूजीवीसीएल | **17** | **72** | **67** | **101** | **37** | **117** |
| **हरियाणा** | **(2,117)** | **(808)** | **(193)** | **412** | **281** | **331** |
| डीएचबीवीएनएल | **(636)** | **(472)** | **12** | **134** | **95** | **114** |
| यूएचबीवीएनएल | **(1,481)** | **(336)** | **(205)** | **278** | **186** | **218** |
| **हिमाचल प्रदेश** | **(114)** | **(11)** | **(111)** | **4** | **4** | **11** |
| एचपीएसईबीएल | **(114)** | **(11)** | **(111)** | **4** | **4** | **11** |
| **जम्मू एवं कश्मीर** | **(4,114)** | **(4,278)** | **(4,063)** | **(2,999)** | **(2,902)** | **(3,160)** |
| जेकेपीडीडी | **(4,114)** | **(4,278)** | **(4,063)** | **(2,999)** | **(2,902)** | **(3,160)** |
| **झारखंड** | **(474)** | **(1,151)** | **(1,741)** | **(212)** | **(751)** | **(1,132)** |
| जेबीवीएनएल | **(474)** | **(1,151)** | **(1,741)** | **(212)** | **(751)** | **(1,132)** |
| **कर्नाटक** | **88** | **(385)** | **(1,119)** | **(522)** | **970** | **(1,850)** |
| बेसकोम | **113** | **100** | **57** | **60** | **85** | **146** |
| चेसकोम | **40** | **8** | **21** | **(0)** | **(209)** | **(366)** |
| जेसकोम | **(110)** | **(131)** | **(267)** | **(472)** | **348** | **(992)** |
| हेसकोम | **30** | **(373)** | **(943)** | **(140)** | **690** | **(682)** |
| मेसकोम | **14** | **11** | **13** | **31** | **56** | **44** |
| **केरल** | **(1,273)** | **(697)** | **(1,495)** | **(784)** | **(290)** | **(270)** |
| केएसईबीएल | **(1,273)** | **(697)** | **(1,495)** | **(784)** | **(290)** | **(270)** |
| **मध्य प्रदेश** | **(4,950)** | **(5,586)** | **(1,470)** | **(5,284)** | **(7,159)** | **(1,744)** |
| एमपीएमएकेवीवीसीएल | **(2,728)** | **(2,585)** | **(1,235)** | **(2,717)** | **(3,838)** | **(1,275)** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एमपीपीएकेवीवीसीएल | (1,061) | (1,153) | 553 | (370) | (424) | 1,103 |
| एमपीपीओकेवीवीसीएल | (1,162) | (1,848) | (788) | (2,197) | (2,897) | (1,571) |
| **महाराष्ट्र** | (366) | (3,383) | 785 | 492 | 1,097 | 307 |
| एमएसईडीसीएल | (366) | (3,383) | 785 | 492 | 1,097 | 307 |
| **मणिपुर** | (30) | (20) | (15) | (8) | (19) | (9) |
| एमएसपीडीसीएल | (30) | (20) | (15) | (8) | (19) | (9) |
| **मेघालय** | (198) | (192) | (343) | (287) | (203) | (428) |
| एमईपीडीसीएल | (198) | (192) | (343) | (287) | (203) | (428) |
| **मिजोरम** | (192) | (122) | (147) | 87 | (83) | (109) |
| मिजोरम पीडी | (192) | (122) | (147) | 87 | (83) | (109) |
| **नागालैंड** | (315) | (15) | (62) | (62) | (325) | (488) |
| नागालैंड पीडी | (315) | (15) | (62) | (62) | (325) | (488) |
| **ओडिशा** | (882) | (931) | (913) | (792) | (1,539) | (842) |
| सीईएसयू | (123) | (507) | (425) | (503) | (429) | (336) |
| नेस्को यूटिलिटी | (379) | (176) | (48) | (81) | (2) | (141) |
| साउथको यूटिलिटी | (224) | (98) | (228) | (187) | (211) | (336) |
| वेस्को यूटिलिटी | (155) | (150) | (211) | (22) | (897) | (29) |
| **पुदुचेरी** | 105 | 9 | (8) | 6 | (36) | (301) |
| पुदुचेरी पीडी | 105 | 9 | (8) | 6 | (36) | (301) |
| **पंजाब** | 166 | (1,645) | (2,836) | (907) | (38) | (1,158) |
| पीएसपीसीएल | 166 | (1,645) | (2,836) | (907) | (38) | (1,158) |
| **राजस्थान** | (12,474) | (11,241) | (1,981) | 2,173 | 2,607 | 2,986 |
| एवीवीएनएल | (3,593) | (3,504) | (337) | 1,199 | 467 | 788 |
| जेडीवीवीएनएल | (4,146) | (3,274) | (1,029) | 30 | 1,234 | 10 |
| जेवीवीएनएल | (4,735) | (4,463) | (616) | 943 | 906 | 2,188 |
| **सिक्किम** | (35) | (182) | (115) | (29) | (3) | (57) |
| सिक्किम पीडी | (35) | (182) | (115) | (29) | (3) | (57) |
| **तमिलनाडु** | (12,757) | (5,787) | (4,349) | (7,761) | (12,623) | (11,965) |
| टेनजेडको | (12,757) | (5,787) | (4,349) | (7,761) | (12,623) | (11,965) |
| **तेलंगाना** | (2,513) | (3,380) | (6,202) | (5,485) | (8,019) | (6,057) |
| टीएसएनपीडीसीएल | (1,343) | (1,010) | (1,502) | (1,561) | (3,051) | (1,116) |
| टीएसएसपीडीसीएल | (1,171) | (2,369) | (4,700) | (3,925) | (4,967) | (4,940) |
| **त्रिपुरा** | (80) | (100) | 40 | 28 | 21 | (91) |
| टीएसईसीएल | (80) | (100) | 40 | 28 | 21 | (91) |
| **उत्तर प्रदेश** | (6,474) | (2,522) | (3,322) | (5,002) | (6,032) | (3,792) |
| डीवीवीएनएल | (2,036) | (1,493) | (1,578) | (2,258) | (2,567) | (629) |
| केईएससीओ | (317) | 24 | 319 | 64 | (450) | (231) |
| एमवीवीएनएल | (965) | (317) | (727) | (458) | (746) | (660) |
| पीएवीवीएनएल | (1,837) | (578) | (468) | (1,517) | (1,290) | (1,068) |
| पीयूवीवीएनएल | (1,318) | (158) | (867) | (833) | (978) | (1,204) |
| **उत्तराखण्ड** | (260) | (95) | (289) | (229) | (553) | (577) |
| यूपीसीएल | (260) | (95) | (289) | (229) | (553) | (577) |
| **पश्चिम बंगाल** | 20 | (5) | (25) | (40) | (45) | 567 |
| डब्ल्यूबीएसईडीसीएल | 20 | (5) | (25) | (40) | (45) | 567 |
| **कुल जोड़** | (54,558) | (47,526) | (33,894) | (29,452) | (49,623) | (32,898) |

टिप्पणीः कोष्ठक में दिए गए आंकड़े हानि दर्शाते हैं।

**********